केवल शासकीय उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची तैयार करने के लिए
नियुक्त कर्मचारियों के लिए

निर्देश पुस्तिका

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला

विषय सूचि

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	नियुक्ति और प्रशिक्षण	1-2
2.	मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये योग्यता और अयोग्यता	3
3.	दावे तथा आपत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही	4-7
परिशिष्ट	विषय	
एक	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन	8-10
दो	मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन	11-13
तीन	मतदाता सूची में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन	14-16
चार	मतदाता सूची में प्रविष्टि को स्थानान्तर के लिए आवेदन	17-19
पांच	पंजीकरण करने हेतु दावों का रजिस्टर	20
छः	पंजीकरण के लिए आपत्ति रजिस्टर	21
सात	निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर	22
आठ	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण	23-24

अध्याय–1

नियुक्ति और प्रशिक्षण

1. मतदाता सूचि किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। सूचि जितनी परिपूर्ण और सही होगी चुनाव उतने ही साफ सुथरे और शान्तीप्रिय होगें। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूचि में यथासम्भव ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानूनी आधार पर मतदान का अधिकार प्राप्त है और साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. पंचायत चुनावों के लिये, मतदाता सूचि ग्राम पंचायतवार तैयार की जाती है। यह सूचि विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूचि पर आधारित होती है। इस हेतू प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचि को ग्राम पंचायतवार भागों में विभाजित करके पहले प्रारूप सूचि या प्रारम्भिक सूचि बनाई जाती है। तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत से सम्बन्धित प्रारूप मतदाता सूचि को, ग्राम पंचायत के कार्यालय में आम लोगों के निरीक्षण और उस सम्बन्ध में दावें और आपतियां प्राप्त करने के लिये रखा जाता है। साथ ही सम्बन्धित पंचायत समिति, जिला परिषद् कार्यालय, तहसील कार्यालय व खण्ड निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में भी उनके अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां आम लोगों के निरीक्षण/देखने हेतू रखी जाती है। निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, तहसील कार्यालय, खण्ड निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सूचि को आम लोगों के निरीक्षण हेतू तथा उसमें नये नाम जोड़े जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाये जाने या किसी अशुद्धि या त्रुटि/गलती को सुधारे जाने के सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो सम्बन्धित खण्ड स्तर पर नियुक्त, जिला निर्वाचक अधिकारी के नियन्त्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। जिला स्तर पर इस कार्य की देख–रेख नगराधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहां कि प्रारूप मतदाता सूचि का निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेगीं। आपको "प्राधिकृत कर्मचारी" (Authorised Official) *के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपका चयन इस बात का सूचक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिये जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है। अतः आपका यह पहला कर्तव्य है कि इस भरोसे के अनुरुप आप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से सम्पन्न करेंगें।*

3. मतदाता सूचि का आम लोगों द्वारा निरीक्षण किये जाने और दावे तथा आपतियां प्रस्तुत करने के लिये आयोग द्वारा जो समय निर्धारित किया जाता है। उस अवधि के दौरान आपको प्रत्येक कार्यकारी दिन उस केन्द्र (स्थान) पर जहां कि आपकी ड्यूटी लगाई है, दिन भर (अर्थात् प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक) उपलब्ध रहना होगा। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही को एक गम्भीर कदाचरण/कुत्सित आचरण माना जायेगा और इस प्रकार के कदाचरण/कुत्सित आचरण के लिए आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ –साथ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 172 के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है।

4. जिस तिथि को प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सार्वजनिक प्रकाशन होगा अर्थात् जिस दिन से उनका आम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, उसके पहले ही आपको सम्बन्धित ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूचि की एक प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी, ऐसी तारीख के लगभग एक सप्ताह पूर्व आपको आपकी नियुक्ति का आदेश भी सीधे या आपके विभागीय नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिये खण्ड मुख्यालय पर किस तारीख को उपस्थित होना है। तदानुसार उस दिन आपको समय पर, हर हालत में खण्ड मुख्यालय पहूंचना होगा। प्रशिक्षण जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा दिया जायेगा और लगभग दो घन्टे तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में सम्बन्धित पंचायत समिति/विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेगें।

5. प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने की पूरी छूट होगी। आपको यह भी समझाया जायेगा कि दावें और आपतियों के लिये निर्धारित प्रारूपों को कैसे भरा जाना है और उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारभिंक जांच या पूछताछ में किन– 2 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है । इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेगें उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्ग दर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना आपको स्वंय ही करना पडेगा।

6. प्रशिक्षण सत्र में आपको निम्नांकित सामग्री प्रदान की जायेगी–

i) सम्बन्धित ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूचि की एक प्रति,

ii) दावे और आपत्तियों के प्रारूप (फार्म) आवश्यक संख्या में,

iii) प्राप्त दावे और आपतियों का दैनिक विवरण के फार्म आवश्यक संख्या में,

iv) दावे और आपतियों के पंजीकरण हेतू दावा और आपत्ति रजिस्टर, व

v) निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर

नोट

i) पंचायत समिति पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को सम्बन्धित पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तथा जिला परिषद् पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को जिला परिषद् के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूचियों का एक सैट दिया जायेगा । प्रदान की गई उपरोक्त सामग्री की सुरक्षा और देखभाल के लिये आप पूर्णतः जिम्मेदार होगें।

ii) आपको प्ररूप–1क, 1ख, 1ग व 1घ, दावे और आपतियों का दैनिक विवरण तैयार करने के लिये फार्म तथा दावे और आपतियों के पंजीकरण हेतू दावा और आपत्ति रजिस्टर उपलब्ध करवाये जायेगें। आपको खण्ड स्तर पर निर्वाचक अधिकारी आदि को विशेष सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिये कागज इत्यादी भी प्रदान किये जायेगें।

अध्याय –2

मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये योग्यता और अयोग्यता

1. ***मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये योग्यता*** *– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 165 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भाग में मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का हकदार है वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचन खण्ड के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में भी एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का हकदार होगा । अतः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का वही व्यक्ति हकदार होगा यदि वह–*

i) *निर्धारित तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) जिस वर्ष मतदाता सूचि तैयार की जा रही है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं,*

ii) *उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का सामान्य तौर पर निवासी है, और*

iii) *विधानसभा की निर्वाचक नामावली* (Electoral Rolls of the Assembly) *में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से सम्बन्धित हो) नाम दर्ज किये जाने के लिये अन्यथा योग्य है।*

2. ***कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य होगा यदि वह–***

i) *भारत का नागरिक नहीं है, या*

ii) *विकृतचित* (unsound mind) *है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की धोषणा विद्यमान है, या*

iii) *प्रोटैकशन आफ सिविल राईटस एक्ट 1955 (कमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्वि के समय से पांच वर्ष की समय अवधि या ऐसी कम समय अवधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में* निश्चित *करे, नहीं बीत गई हो, या*

iv) *निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये उस समय अयोग्य है,*

v) *जो फिलहाल चुनाव के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बन्धित किसी कानून के अन्तर्गत मतदान के लिये अयोग्य है।*

3. *किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् अयोग्य हो जाता है, उस मतदाता सूचि में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जायेगा । परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि अयोग्यता के कारण मतदाता सूचि में से काटा गया है, उस सूचि में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जायेगा जब ऐसी अयोग्यता समाप्त हो जाये या विधिवत् हटा दी गई हो ।*

अध्याय–3

दावे तथा आपत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही

1. मतदाता सूचि के निरीक्षण के लिये निर्धारित अवधि के दौरान आपको अपने केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निरन्तर उपलब्ध रहना चाहिये। इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूचि का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिये। वार्डवाईस तैयार प्रारूप मतदाता सूची सम्बन्धित जिले की बेवसाईट में भी उपलब्ध रहेगी तथा कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो website *में भी मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है । मतदाता सूची का निरीक्षण करने उपरांत अगर कोई व्यक्ति सूचि में अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में दर्ज किये जाने के लिये पात्र है) जोड़े जाने के लिये या सूचि में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिये या सूचि में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम को हटाए जाने के लिये आवेदन पत्र (दावा या आपति) पेश करना चाहे तो उसे सम्बन्धित फार्म तत्परता से और निशुल्क उपलब्ध कराया जाये। दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए आखिरी तारीख को केवल 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दावा या आपति, आपको प्रस्तुत करने के बजाए जिला निर्वाचक अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है ।*

2. दावे तथा आपत्तियों से सम्बन्धित प्ररूप आपके पास प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध होनें चाहिए तथा किसी व्यक्ति द्वारा मांग पर निशुल्क उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त प्ररूप आयोग व सम्बन्धित जिले की बेवसाईट में भी उपलब्ध रहेंगे और अगर कोई व्यक्ति अपना दावा एवं आपत्ति डाउनलोड किये गये एवं फोटोस्टेट प्ररूप में प्रस्तुत करता है, तो वह पूर्णत्या स्वीकार्य होगा ।

3. सामान्यतः व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रस्तुत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाए, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हे ले लिया जाये। यदि कोई अन्य व्यक्ति, भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ना लिया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाये कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से अलग–2 आवेदन पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावे और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–2 पूछताछ की जानी होगी।

4. ***दावे तथा आपत्तियां करने तथा प्रस्तुत करने का ढंग***

(1) *मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नियमानुसार किया जाएगा –*

i) *प्ररूप "1 क" में ;*

ii) *मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा ; तथा*

iii) *जिस वार्ड की मतदाता सूची में दावेदार अपना नाम शामिल करवाना चाहता है उस मतदाता सूची में पहले से शामिल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्तक्षारित होगा।*

दावा आवेदन पत्र का नमूना ***परिशिष्ट–1*** *में दिया गया है।*

(2) *मतदाता सूची में नाम की प्रविष्ट पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन निम्नानुसार किया जायेगा –*

i) *प्ररूप "1 ख" में ;*

ii) *केवल उस व्यक्ति द्वारा आक्षेप की जाएगी जिसका नाम पहले ही उस मतदाता सूची में शामिल है ; तथा*

iii) *जिस मतदाता सूची में आक्षेपजनक नाम दिया गया है में पहले से शामिल नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्तक्षारित होगा।*

*दावा आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट–2** में दिया गया है ।*

(3) *मतदाता सूची में प्रविष्टि विवरणों की शुद्धि के लिये आवेदन निम्नानुसार किया जाएगा –*

i) *प्ररूप "1ग" में ;तथा*

ii) *केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि सम्बन्धिति है ।*

*दावा आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट–3** में दिया गया है ।*

(4) *मतदाता सूची में प्रविष्टि के स्थानान्तरण के लिये आवेदन नियमानुसार किया जायेगा–*

i) *प्ररूप "1घ" मे; तथा*

ii) *केवल उस व्यक्ति द्वारा ही दी जाएगी जिससे प्रविष्टि सम्बन्धिति है ।*

*दावा आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट–4** में दिया गया है*

(5) *प्रत्येक दावा व आक्षेप जिला निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।*

(6) *जिला निर्वाचक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी दावों का एक रजिस्टर प्ररूप 1–ड. व आक्षेपों का प्ररूप 1–च (**परिशिष्ट 5 व 6**) में तैयार करेंगा, और प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा या आपत्ति का ब्यौरा जैसी भी स्थिति हो, उसमें इन्द्राज करेगा।*

(7) *कोई दावा या आपत्ति जो निर्धारित अवधि के भीतर या निर्धारित ढंग या रीति में दर्ज नहीं किया जाता है जैसा कि इसमें वर्णित है या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ऐसा करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।*

(8) *यदि किसी व्यक्ति द्वारा दावा या आपित्त ऐसे किसी जिला निर्वाचक अधिकारी या प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करता है जो इसे प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा जिला निर्वाचक अधिकारी या प्राधिकृत कर्मचारी उस दावा या आक्षेप को तुरन्त उसी व्यक्ति को वापिस कर देगा ताकि वह उसे सम्बन्धित जिला निर्वाचक अधिकारी या प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत कर सके।*

(9) *जहां दावा या आपित्त का निपटान बिन्दु 7 व 8 के अधीन नहीं किया जाता तथा दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की विहित अवधि समाप्त हो गई है, तो जिला निर्वाचक अधिकारी या प्राधिकृत कर्मचारी प्राप्त हुए सभी दावों और आक्षेपों की सूची तुरंत अपने कार्यलय में लगाएगा तथा एसे दावों और आक्षेपों की सुनवाई की तिथि व स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा। दावों और आक्षेपों की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसने ये दिये हैं 1*

नोट–दावे और आपत्तियां निर्धारित प्ररूप/फार्म में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि फार्म भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मागें तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।

6. कोई दावा तथा आपति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपतिकर्ता को, सम्बन्धित फार्म के अन्त में लगी हुई "आवेदन की पावती/रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना हाथों–हाथ देनी होगी। पावती में खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिये वह तारीख व समय डाला जाये जो दावा या आपति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपति आवेदन पत्र 7 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिये पेशी तारीख 10 की डाली जाये परन्तु यदि 10 तारीख को सार्वजनिक अवकाश हुआ तो पेशी तारीख 11 की डाली जाये। साथ ही दावेदार या आपतिकर्ता से पेशी तारीख व समय की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, फार्म पर मुद्रित स्थान पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये जाये या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाये ।

7. प्रस्तुत प्रत्येक दावें और आपति के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए, और उसके आधार पर दावा या आपति के फार्म में, सम्बन्धित स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए। पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाये–

i) *जिस वर्ष में मतदाता सूचियां तैयार की जानी है उस वर्ष की 01 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के सम्बन्ध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में दर्ज जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज (प्रमाण पत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज या प्रमाण/साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधान सभा की मतदाता सूचि में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण सन्तोषजनक है ?*
नोटः– नये मतदाता की आयु का आधार राशन कार्ड में दर्ज उसकी आयु को वैद्य साक्ष्य नहीं माना जायेगा।

ii) *वह सामान्यतः कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है ? उसके परिवार में और कौन–2 से लोग है तथा क्या उनके नाम मतदाता सूचि में सम्मिलित हैं ?*

iii) *जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूचि में बने रहने पर आपति तथा नाम हटाये जाने की मांग की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई ?*

iv) *जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में बने रहने पर इस आधार पर आपति तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग की गई है कि ऐसा व्यक्ति गांव का मामूली तौर पर निवासी* (ordinarily resident) *न होकर किसी और गांव में रहता है या नौकरी या अन्य व्यवसाय के सिलसिले में अन्यत्र/अन्य स्थान पर चला गया है या किसी महिला के मामले में वह विवाह के पश्चात् सुसराल चली गई है या ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कारण से अयोग्य है, वह कब और कहां चला गया है या उसकी कथित अयोग्यता का आधार क्या है ?*

8. i) *उपरोक्त पूछताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपति फार्म में सम्बन्धित स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए। उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपति स्वीकार करने योग्य है या नहीं?*

ii) *पूछताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपतिकर्ता की ओर से कोई कागज पत्र प्रस्तुत किये जाये तो उन्हें भी प्ररूप के साथ संलग्न कर दिया जाये। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचक अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिये बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिये आगे और पूछताछ कर सकता है या अलग से और भी जांच कराकर अपना स्वतन्त्र निष्कर्ष निकाल सकता है।*

नोट– *जिला निर्वाचक अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी* (Authorised Officer), *बी0एल0ओ0 व किसी अन्य प्राधिकृत कर्मचारी* (Authorised Official) *द्वारा सम्बन्धित फार्म में दी गई किसी भी टिप्पणी पर ऐसे ही विश्वास नहीं करेगा, बल्कि फार्म के साथ लगे दस्तावेजों की स्वंय जांच करने उपरांत ही कोई उचित निर्णय लेगा।*

iii) *आपका यह भी कर्तव्य है कि आप निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर (**परिशिष्ठ –7**) में, सूचना एवं संग्रहण केन्द्र* (VICC) *एवं प्राधिकृत स्थानों में जहां आपकी तैनाती है, आने वाले निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पद संज्ञा, आने–जाने का समय व तिथि अंकित करेंगे और उसमें निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा टिप्पणी प्राप्त करेंगे ।*

9. i) *आपके द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों, आपत्तियों और प्रविष्टियों में संशोधन व स्थानान्तरण के लिये दैनिक विवरण उसी दिन शाम को **परिशिष्ट–8** में दिये फार्म में दो प्रतियों मे तैयार किया जाये। इस विवरण की एक प्रति प्राप्त दावे और आपति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी जाये, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10.00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिये लगा दी जाये। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मशां यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो ग्राम के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिये आपको या खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचक अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सके। यदि किसी दिन कोई दावा या आपति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से सम्बन्धित खाली दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचक अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के सम्बन्ध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये हो, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।*

ii) *दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अतिंम तारीख को दोपहर 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपतियों का दैनिक विवरण, उसी दिन शाम तक पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचक अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतू तैयार कर ली जाए।*

10. *कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूचि तथा बचे हुये प्ररूप (फार्म) सादे कागज पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपतियां प्राप्त हुई) खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचक अधिकारी को भेज दिये जाये। इसके बाद ही आप अपनी ड्यूटी से मुक्त माने जायेगें।*

परिशिष्ट–1

प्ररूप–1क

[देखिए नियम 9–क (1) (क), तथा 12–ग (1)]

रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या..................

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)................................

ग्राम पंचायत....................................वार्ड संख्या...............

खण्ड.........................,पंचायत समिति.....................वार्ड संख्या ....

जिला परिषद..................................,वार्ड संख्या ....

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

I. आवेदक का ब्यौरा	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

प्रथम जनवरी...........................को आयु	वर्ष:	मास:	लिंग (पुरूष/स्त्री):
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	दिन:	मास	वर्ष

जन्म का स्थान:	ग्राम/नगर	
	जिला	राज्य

*पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)

II. सामान्य निवास स्थान के विवरण (पूरा पता)

मकान/गृह संख्या:								
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़क:								
नगर/ग्राम:								
डाकघर:	पिन कोड							
तहसील/तालुका/मंडल/थाना:								
जिला:								

III. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) के ब्यौरे:

नाम	आवेदक के साथ सम्बन्ध	वार्ड की मतदाता सूची की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या
1.				
2.				

iv घोषणा मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :– (i) मैं भारत का नागरिक हूँ ; (ii) मैं.. (तिथि, मास, वर्ष) से उपर्युक्त पैरा–II में दिए गए पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ; (iii) मैंने किसी अन्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ; (iv) *इस या किसी अन्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ; **या** *मेरा नाम राज्य .... में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्ड संख्या...................की, जिसमें मैं नीचे वर्णित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस मतदाता सूची से हटा दिया जाए ।	
पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान) ———————————————— ————————————————	निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) संख्या———————————————— जारी करने की तारीख———————
स्थानः तारीखः दावाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	

टिप्पण– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी.. को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप । क में दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर जिला निर्वाचक अधिकारी की मुहर
तारीखः

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी,य थामिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या.................................
सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तथा समय ....
(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आपत्ति की सुनवाई के लिए नियत तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना
(आवेदक के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी..............................जो ग्राम................................ का/की निवासी है, से प्ररूप–1क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ....को समय ....बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

तारीख ....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता...
....

परिशिष्ट–2

प्ररूप–1ख

[देखिए नियम 9–क (2) (क), तथा 12–ग (1)]

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)..................................

ग्राम पंचायत....................................,.वार्ड संख्या...............

खण्ड.............................,पंचायत समिति.....................वार्ड संख्या..............

जिला परिषद..................................,वार्ड संख्या ....

महोदय,

मैं उपर्युक्त ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए मतदाता सूची में नीचे वर्णित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ । मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:

या

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:

<table>
<tr><td rowspan="3">I. उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप किया गया है

उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है</td><td colspan="2">नाम</td><td>उपनाम (यदि कोई है)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :</td><td>उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :</td><td>निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :</td></tr>
<tr><td rowspan="3">II.आक्षेपकर्त्ता का ब्यौरे

लिंग (पुरूष/स्त्री /अन्य)</td><td colspan="2">नाम</td><td>उपनाम (यदि कोई है)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें आक्षेपकर्त्ता का नाम सम्मिलित किया गया है</td><td>उस भाग में उसकी क्रम संख्या:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*पिता/माता/पति का नाम</td><td colspan="2">नाम</td><td>उपनाम (यदि कोई है)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">III. आक्षेपकर्त्ता/नाम हटाए जाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)</td></tr>
<tr><td colspan="8">मकान/गृह संख्या:</td></tr>
<tr><td colspan="8">गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:</td></tr>
<tr><td colspan="8">नगर/ग्राम:</td></tr>
<tr><td>डाकघर:</td><td>पिन कोड</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

तहसील/तालुका/मंडल/थाना:
जिला
*आक्षेप/हटाए जाने के लिए कारण (कारणों)
IV. घोषणा: मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है । स्थान: दिनांक: आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण:– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 1ख में मतदाता सूची मे श्री/श्रीमती/कुमारी... के नाम को सम्मिलित किए जाने पर/हटाए जाने हेतु आक्षेप करने के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है /नामंजूर कर दिया गया है । हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान: जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर जिला निर्वाचक अधिकारी की मुहर
तारीख:
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।
* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या......................................
सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तथा समय ....
(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आपत्ति पर सुनवाई के लिए नियत तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(*आवेदक के लिये*)

श्री/श्रीमति/कुमारी ....*जो ग्राम* ....*का/की निवासी है, से प्ररूप –1ख में आवेदन प्राप्त हुआ।*

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान .... *में स्थित अपने कार्यालय में तारीख* .... *को समय* ....*बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों /जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।*

तारीख ....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता...
....

प्ररूप 1ग

[देखिए नियम 9–क (3) (क), तथा 12–ग (1)]

मतदाता सूची में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)..................................
ग्राम पंचायत..................................,.वार्ड संख्या...............
खण्ड.............................,पंचायत समिति.....................वार्ड संख्या...............
जिला परिषद..................................,वार्ड संख्या ....

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0X3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति /जिला परिषद की मतदाता सूची में शामिल को मतदाता सूची में प्रकट मुझसे उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए । मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण नीचे दिये गए हैं:–

I. आवेदक के ब्यौरे	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
मतदाता सूची की भाग संख्या:		उस भाग में क्रम संख्या:	
प्रथम जनवरी......................को आयु	वर्ष	मास	लिंग पुरूष/स्त्री
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	दिन	मास	वर्ष
जन्म का स्थान:	ग्राम/नगर:		
	जिला:		राज्य:
*पिता/माता/पति का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)

II. मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)							
मकान/गृह संख्या:							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:							
नगर/ग्राम:							
डाकघर:	पिन कोड						
तहसील/तालुका/मंडल/थाना:							
जिला							

III. निर्वाचक के फोटो पहचान–पत्र का विवरण : (यदि इसमें या अन्य किसी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद में जारी किया गया है)
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या:
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम

IV. ***शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण*** *इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के निबन्धनों के अनुसार *मेरा नाम *आयु/*मेरे पिता/माता/पति का नाम/लिंग/*पता शुद्ध कर दिया जाए ।* *स्थानः* *तारीखः* *निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान*

टिप्पणः– *कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।*
**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।*

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

*श्री/श्रीमती /कुमारी.. को मतदाता सूची में प्रविष्टि शुद्व करने हेतु प्ररूप –1ग में आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 10 के अधीन या के अनुसरण में स्वीकार करने या *नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः*

स्थानः
तारीखः *जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर* *जिला निर्वाचक अधिकारी की मोहर*
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान।
**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।*

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या..................................
सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तथा समय ....
(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आप्पत्ति की सुनवाई के लिए नियत तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(आवेदक के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी ....जो ग्राम ....का/की निवासी है, से प्ररूप –1ग में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .... को समय .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों /जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं ।

तारीख ....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता..
....

परिशिष्ट–4

प्ररूप–1घ

[देखिए नियम 12–ग (1)]

मतदाता सूची में प्रविष्टि को स्थानान्तर के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0).................................

ग्राम पंचायत..................................,वार्ड संख्या..............

खण्ड............................,पंचायत समिति........................वार्ड संख्या..............

जिला परिषद.................................,वार्ड संख्या ....

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X3. 05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि ग्राम पचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद.......................वार्ड संख्या.................... की मतदाता सूची में मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि, इस ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की मतदाता सूची के सुसंगत भाग में स्थानान्तर कर दी जानी चाहिए। स्थानान्तर की जाने वाली प्रविष्टि का विवरण नीचे दिया गया है:–

I. उस व्यक्ति के ब्योरे जिसकी प्रविष्टि को स्थानान्तर की जानी है	नाम		उपनाम (यदि कोई हो)
	मतदाता सूची के उस भाग की संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :
*पिता/माता/पति का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)

II. वर्तमान साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता):							
मकान/गृह संख्याः							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़कः							
नगर/ग्रामः							
डाकघरः	पिन						
तहसील/तालुका/मंडल/थानाः							
जिलाः							

III. आवेदन की तारीख को उपर्युक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	वर्ष	मास
IV. भाग संख्या, जिसमें प्रविष्टि स्थानांतरित की जानी है (यदि ज्ञात हो)		
V. आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

	मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :

टिप्पणः– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।

VI. घोषणाः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थानः

दिनांकः *आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान*

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(जिला निर्वाचक अधिकारी/उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... से स्वयं श्री/श्रीमती/कुमारी.. ....से संबंधित प्रविष्टि की मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए प्ररूप–1घ में प्राप्त आवेदन को स्वीकार/नामंजूर कर दिया गया है । हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 12 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः *जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर* *जिला निर्वाचक अधिकारी की मोहर*

तारीखः

**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें*

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या.............................

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख व समय ....

(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आपत्ति की सुनवाई के लिए तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

आवेदक केहस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(*आवेदक के लिये*)

श्री/श्रीमति/कुमारी ....जो ग्राम ....*का/की* निवासी है, से प्ररूप –1घ में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचे अधिकारी द्वारा स्थान ____________________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख _____________________ को समय _____________ बजे की जायेगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों /जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जाते हैं ।

तारीख ....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता..
....

प्ररूप–1ङ.

[देखिए नियम 9क (5)]

पंजीकरण करने हेतु दावों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत________________________,वार्ड संख्या_________________________खण्ड ______________________________,
पंचायत समिति______________________वार्ड संख्या_________________________
जिला परिषद_______________________, वार्ड संख्या______________________

निर्णय ____

कम सं0	वार्ड तथा संस्था का नाम जिसमें पंजीकरण करने का दावा किया गया है	दावेदार का नाम तथा पिता का नाम तथा व्यवसाय	ऐसे प्राधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की तिथि जिसे ऐसे प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित दावा प्रस्तुत किया गया है	पार्टी के उपस्थित होने के सम्बन्ध में टिप्पण सहित निर्णय की तिथि	स्वीकृत/अस्वीकृत	जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर	उस कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसने जिला निर्वाचक अधिकारी के निर्णय को कार्यन्वित किया था ।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

प्ररूप–1च

[देखिए नियम 9क (5)]

पंजीकरण के लिए आपत्ति रजिस्टर

ग्राम पंचायत______________________,वार्ड संख्या_____________खण्ड___________________,

पंचायत समिति______________________वार्ड संख्या_____________________

जिला परिषद्______________________,वार्ड संख्या____________________

निर्णय ____

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
क्रम सं0	वार्ड	आपत्ति करने वाले व्यक्ति का पंजीकरण			ऐसे प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि जिसे ऐसे प्राधिकारी के प्रथमाक्षर सहित आपत्ति प्रस्तुत की जाती है।	ऐसे आदेशिका सेवक का नाम जिसके द्वारा उस व्यक्ति को दूसरी प्रति देने के लिए भेजी गई है तथा तिथि जिस पर आपत्ति की गई है।	आदेशिका सेवक की रिपोर्ट का सारांश तथा तिथि	पार्टी की उपस्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी सहित निर्णय की तिथि	स्वीकृत	अस्वीकृत	जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा तिथि	उस कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसके द्वारा निर्णय को कार्यन्वित किया गया था।
		नाम	मतदाता सूची में संख्या सहित	मतदता सूची में आपत्तिकर्ता का नाम, विवरण तथा संख्या								

निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर

क. सं.	दिनांक	निरीक्षक अधिकारी का नाम एवं पद संज्ञा	आने का समय	जाने का समय	हस्ताक्षर	विशेष टिप्पणी, अगर कोई हो

परिशिष्ट–8

ग्राम पंचायत ______________________ खण्ड _______________

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख _____________

भाग–1 दावे

(नाम जोडने के लिये)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोडे जाने का दावा किया गया है । वार्ड क्रमांक	ग्राम	जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख
1	2	3	4	5

भाग–2 आपत्ति

(नाम हटाने के लिये)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
1	2	3	4	5	6	7

भाग–3 आपत्ति

(प्रविष्टियों में संशोधन व स्थानान्तरण के लिये)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है ।			जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
1	2	3	4	5	6

कार्य स्थानः

तारीखः

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी/अधिकारी